

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.13(क)(1)गृह-2/2022

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

विषय:—किट मेन्टीनेन्स भत्ता।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न पदों हेतु किट मेन्टीनेन्स भत्ता बढ़ाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

क्र.स.	पद नाम	वर्तमान दर (पूर्व स्वीकृति आदेश दिनांक 22.04.2016 के अनुसार)(रु.) प्रतिमाह	संशोधित दर (रु.) प्रतिमाह
1	राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी (आर.पी.एस.)	125 /—	150 /—
2	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	125 /—	150 /—

यह आज्ञा दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी। व्यय संबंधित बजट मदों से वहन किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की मांग संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 के समय की जा सकेगी।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 122300021 दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, गृह(पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I), राजस्थान जयपुर।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
- वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह(पुलिस)
Signature valid

1

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.14 09:01:54 IST
Reason: Approved